>

Title: Need to amend section 42 of Rajasthan Tenancy Act, 1955 to facilitate sale of land owned by people belonging to Scheduled Caste community to other castes for the welfare of SCs.

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर): भारतीय संविधान में नागरिकों को दिये गए मूल अधिकारों – समानता, शिक्षा, रोजगार आदि के अवसर हर नागरिक को समान रूप से प्राप्त हो, की व्यवस्था की गई है। उपेक्षित समाज अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग को समाज में बराबर के अवसर प्राप्त हों, के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। इसी संदर्भ में मेरे गृह राज्य राजस्थान में भूमि से संबंधित राजस्थान टेनन्सी एक्ट, 1955 लागू किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के खातेदारों की भूमि के क्रय/िवक्रय/स्थानांतरण पर अंकुश रखने के लिए उक्त एक्ट में धारा 42 का समावेश किया गया जो वर्तमान में अनुसूचित जाति के विकास में तथा संविधान में दिए गए समानता/िशक्षा/आर्थिक अधिकार के विरूद्ध है।

राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 42 में व्यवस्था है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि केवल अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही खरीद सकता है। आज भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की क्रय शक्ति अन्य समाज के मुकाबले शून्य है। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति के व्यक्ति (खातेदार) को भूमि का बाजार भाव नहीं मिल पाता।

राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा किए गए सभी संभव प्रयासों के बावजूद भी शिक्षा व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। हर जाति समुदाय ने अपने-अपने बालकों के लिए शिक्षण संस्थान व छात्रावासों की व्यवस्था की हुई है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति अपने समाज/समुदाय की शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए अपने बल बूते पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आज भी सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक क्षेत्र में पूर्णतः अक्षम है। उपेक्षित वर्ग के उत्थान की भावना रखने वाले व्यक्ति संगठित रूप से संस्था बनाकर, सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 की धारा 21 के तहत पंजीकृत होकर समाज कल्याण व शिक्षा के प्रचार-प्रसार में कार्यरत हैं, विशेषकर वे संस्थाएं जो केवल अनुसूचित जाति समुदाय के बालक/बालिकाओं को नःशुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु ही स्थापित की गई है, को अनुसूचित जाति के खातेदारों की भूमि खरीदने/दान स्वरूप या भेंट आदि के रूप में प्राप्त करने में राजस्थान प्रशासन एकमत नहीं है। इसी संदर्भ में जिला कलेक्टरों से पूर्व अनुमति लेकर अर्जित की गई भूमि का विधिवत पंजीयन होने तथा इंतकाल(म्यूटेशन) दर्ज होने के पश्चात् भी भूमि रूपांतरण में राजस्थान प्रशासन द्वारा आपत्ति की जाती है जबकि अनेक मामलों में अनुसूचित जाति के खातेदारों की कृषि भूमि का अन्य व्यक्ति/समुदाय/संस्था/ट्रस्ट/कंपनी आदि के नाम रूपांतरण किया जाता रहा है।

मेरा केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारों जहाँ राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 की धारा 42 में किए गए प्रावधानों जैसी व्यवस्था है, को संशोधित कर अनुसूचित जाति के विकास पथ में बाधा उत्पन्न करने वाले सभी नियम-कानूनों में आवश्यक संशोधन किया जाए जिससे उपेक्षित समाज अनुसूचित जाति को आर्थिक, शिक्षा, समानता का अधिकार मिल सके।